



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-mail: registrar_sua@yahoo.co.in

Phone: 07774-222789, Fax: 07774-222791

क्र.1907/फार्मसी विभाग/वि.शि.वि./2023

अंबिकापुर, दिनांक: 13-12-2023


विज्ञापन Walk-in-Interview

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक 636/स्थापना/2023 अंबिकापुर, दिनांक: 06/09/2023 के तहत विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अंतर्गत संचालित फार्मसी विभाग के लिए सत्र 2023-24 में शिक्षण कार्य हेतु अतिथि शिक्षको की नियुक्ति की जानी है। अतिथि शिक्षको की नियुक्ति वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जायेगी। वाक-इन-इंटरव्यू दिनांक 21-12-2023 को दोपहर 12:00 बजे से विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अंतर्गत संचालित फार्मसी विभाग (नवीन बस स्टैंड, अंबिकापुर के समीप) में किया जाना है। वाक-इन-इंटरव्यू का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	विभाग का नाम	पद संख्या	दिनांक	समय
01	फार्मसी विभाग	02	21-12-2023	दोपहर 12:00 बजे

नोट- नियुक्ति माह अप्रैल 2024 तक के लिए होगी एवं यह नियुक्ति स्थायी नियुक्ति में व्यक्तियों के आने/ कार्य संतोषजनक ना पाये जाने/ किसी भी तरह के अनुशासनहीनता पाये जाने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि पर एक घंटा पूर्व अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदकों को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अधीन होगी। अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sggcg.in पर देखा जा सकता है।

आदेशानुसार


विभागाध्यक्ष

फार्मसी विभाग, विश्वविद्यालय शिक्षण

अंबिकापुर, दिनांक: 13-12-2023

पृ.क्रमांक:1908/फार्मसी विभाग/वि.शि.वि./2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.)
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.)
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.)
4. कार्यालयीन नस्ती।